उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियनत्रण अनुभाग,
संख्या-24/2015/299/92-1-2015-77आरईएस/2004,
दिनांक: लखनऊ: 31 मार्च, 2015

कार्यालय-ज्ञाप

श्री जयराम, अधीक्षण अभियन्ता (सम्प्रति निलम्बित) सम्बद्ध कार्यालय मुख्य अभियंता (पश्चिमी क्षेत्र) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ, 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के उपरान्त दिनांक 30-6-2015 के अपरान्ह में राजकीय सेवा से, सेवानिवृत्त हो जायेंगे।

कुमार कमलेश
प्रमुख सचिव।

संख्या-24/2015/299(1)/92-1-2015, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।

2- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ को इस आशय के साथ कि यदि उपर्युक्त अभियंता के विरूद्ध यदि किसी प्रकार की अनुशासनिक कार्यवाही प्रचलित हो, तो उनके पूर्ण पेंशन/ग्रेच्युटी का भुगतान अनुशासनिक कार्यवाही समाप्त हो, जाने के उपरान्त ही किया जाय।

3- मुख्य अभियन्ता (पूर्वी क्षेत्र/पश्चिमी क्षेत्र), ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

4- वित्त नियंत्रक, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

5- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/कोषाधिकारी द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

6- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता द्वारा- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शिशिर कुमार यादव)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in